एंग्लो-इंडियन: एक प्रश्न

लेखक-अबंतिका घोष और प्रदीप कौशल (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

13 दिसम्बर, 2019

"संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन प्रभावी रूप से लोकसभा, विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन सदस्यों से आरक्षण को दूर करता है। इस आलेख में हम इससे संबंधित प्रावधानों और सांसद इस कोटा के तहत् कैसे नामित हुए, उस पर एक नजर डालेंगे।"

गुरुवार को संसद ने एससी/एसटी के लिए आरक्षण का विस्तार करते हुए 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, लेकिन एंग्लो इंडियन को लोकसभा और कुछ राज्यों की विधानसभाओं में मनोनीत करने के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है।

कौन हैं एंग्लो इंडियन?

भारत में एंग्लो-इंडियन समुदाय की उत्पत्ति का कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक आधिकारिक नीति है, जहाँ इसने स्थानीय महिलाओं के साथ अपने अधिकारियों के विवाह को प्रोत्साहित किया था।

एंग्लो-इंडियन शब्द पहली बार भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्रतीत हुआ। वर्तमान संदर्भ में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (2) में कहा गया है कि 'एंग्लो-इंडियन का अर्थ है एक व्यक्ति जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों। यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों।'

एंग्लो-इंडियन आबादी क्या है?

2011 की जनगणना के अनुसार, खुद को एंग्लो इंडियन बताने वाले लोगों की संख्या 296 थी। दूसरी ओर, ऑल इंडिया एंग्लो-इंडियन एसोसिएशन ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के इस दावे पर आपत्ति जताई है कि इस समुदाय में सिर्फ 296 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष-प्रमुख बैरी ओशब्रायन ने प्रधानमंत्री और श्री प्रसाद दोनों को इसके बारे में लिखा है।

उन्होंने कहा, मैंने 2011 की जनगणना से सरकारी डेटा का अध्ययन किया। जिसके अनुसार, पश्चिम बंगाल में नौ एंग्लो-इंडियन हैं। मगर मेरा कहना है कि मेरे खुद अपने परिवार में शायद इससे कहीं ज्यादा हैं। इसके अलावा यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमारी संख्या को शून्य दिखाता है, लेकिन अभी जो विधानसभाएँ हैं, उनमें हमारे समुदाय के सदस्य बैठे हैं।

क्या राज्य सरकार ने तब गैर-एंग्लो-इंडियन को नामांकित किया था? वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा एक याचिका जिसे हमने पहले ही शुरू किया था, उसमें एंग्लो-इंडियन के 750 हस्ताक्षर हैं। सच्चाई यह है कि हमें यह नहीं मालूम की देश में कितने एंग्लो-इंडियन हैं। हम सिर्फ यह जानते हैं कि हमारी संख्या केवल कुछ हजार में नहीं है और न ही हमारी संख्या करोड़ों में है। यह शायद लाखों में हो।

बैरी ओशब्रायन कुछ साल पहले भाजपा में शामिल हुए थे। वह तृणमूल सांसद डेरेक ओशब्रायन के भाई हैं और नील ओब्रायन के पुत्र हैं, जो पूर्व नामित लोकसभा सांसद हैं। पिछले दिनों राज्यसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर बहस के दौरान, डेरेक ओशब्रायन ने अपने आयरिश दादा का संबंध भारत से बताते हुए कहा कि यह भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से ओशब्रायन भारत में रह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लोग कनाडा, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं।

एसोसिएशन ने किन नंबरों का हवाला दिया?

श्री प्रसाद को लिखे गये पत्र में इन्होंने लिखा कि भारत में एंग्लो-इंडियन की संख्या आज (296) से बहुत अधिक है और हमारे पास इसे साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत हैं। मुझे ऑल इंडिया एंग्लो-इंडियन एसोसिएशन, जो भारत में एंग्लो-इंडियन का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पंजीकृत निकाय है, का सम्मान करने का सौभाग्य मिला है। वर्तमान में हमारे संघ की देश में 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 62 शाखाएँ हैं।

हमारी चेन्नई में 6 शाखाएँ हैं। और उनमें से प्रत्येक के बीच 300 और 1000 सदस्य हैं। इसी तरह, बैंगलोर और कोलकाता जैसी शाखाओं में, हम में से प्रत्येक में 700 से अधिक सदस्य हैं। मदुरई, कोचीन, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद-सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम जैसे शहरों में हमारे लगभग 300-400 सदस्य हैं। अकेले महाराष्ट्र में, मुंबई, पुणे, नागपुर, भुसावल, देवलाली, नासिक और इगतपुरी से संबंधित एंग्लो-इंडियन हमारी एसोसिएशन के सदस्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में हमारी चार शाखाएँ हैं जैसे लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद और झाँसी।

पत्र में यह भी दावा किया गया है कि दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में सदस्यता 'छलांग और सीमा' से बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल, खड़गपुर और आद्रा, मध्य प्रदेश में खुर्द रोड और मध्य प्रदेश में जबलपुर और बिलासपुर और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा जैसी पूर्व रेलवे कॉलोनियों में भी सक्रिय शाखाएँ हैं।

विधानमंडल में किन प्रावधानों के तहत् आरक्षण दिया गया?

अनुच्छेद- 81 के अनुसार संसद के निम्न सदन में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद- 331 के तहत् 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं।

सबसे पहले फ्रैंक एंथनी को इस तरह के नामांकन का विचार आया था, जिन्होंने ऑल इंडिया एंग्लो-इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था। जवाहरलाल नेहरू के सुझाव के बाद संविधान में अनुच्छेद 331 जोड़ा गया।

अनुच्छेद 333 विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इसके अनुसार, 'अनुच्छेद 170 के बावजूद, एक राज्य के राज्यपाल को यदि यह लगता है कि एंग्लो-इंडियन समुदाय को राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उसमें पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, तो विधानसभा के लिए उस समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है।'

वर्तमान में 14 विधानसभाओं में एक-एक भारतीय सदस्य हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक कोई एंग्लो इंडियन सदन में मनोनीत होने के 6 महीने के अंदर किसी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यता लेने के बाद वो सदस्य पार्टी व्हिप से बध जाते हैं और उन्हें पार्टी के मुताबिक सदन में काम करना पड़ता है।

ध्यान रहे कि मनोनीत सदस्यों के पास वो सारी शक्तियाँ होती हैं, जो एक आम सांसद के पास होती हैं। एंग्लो-इंडियन सदस्य दूसरों की तरह ही शक्तियों का आनंद लेते हैं, लेकिन वे राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते क्योंकि वे राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं।

वर्षों से लोक सभा के लिए नामित एंग्लो इंडियन कौन हैं?

हेनरी गिदनी ने 1920, 1923, 1926, 1930 और 1934 के चुनावों में विशेष हितों/एंग्लो-इंडियन श्रेणी के तहत् केंद्रीय विधान सभा में प्रवेश किया।

फ्रैंक एंथोनी 1952, 1957, 1962, 1967, 1967, 1971, 1980, 1984 और 1991 में लोकसभा के लिए मनोनीत हुए। एईटी बैरो सात कार्यकाल तक नामांकित हुए - 1951-1952, 1957, 1962, 1967, 1977, 1980, 1984 में। मार्जोरी गॉडफ्रे को 1971 में नामांकित किया गया था। 1977 में, रूडोल्फ रॉड्रिक्स ने एंथनी को बदल दिया है।

जोस फर्नांडीज और पॉल मंतोष को 1989 में वीपी सिंह की अगुवाई वाली जनता दल सरकार ने नामित किया था। पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में कांग्रेस सरकार ने 1991 में रॉबर्ट ई विलियम्स को नामित किया था। शीला एफ ईरानी का 1995 से 1996 तक संक्षिप्त कार्यकाल रहा था।

नील ओ ब्रायन और हेजविग रेगो का 1996 से 1998 तक दो वर्षों का संक्षिप्त कार्यकाल रहा था। बीटिक्स डिसूजा और

नेविले फोले, दोनों समता पार्टी, जॉर्ज फर्नांडीस के नेतृत्व में, 1998 में नामित किए गए थे।

जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए. सत्ता में आयी, तो इंग्रिड मैकलियोड को 2004 और 2009 में दो बार नामांकन मिला। फ्रांसिस फेनथोम 2004 में लोकसभा में आए और 2009 में एक सिविल सेवक चार्ल्स डायस आए

2014 में NDA सरकार ने एक अभिनेता जॉर्ज बेकर और केरल के एक शिक्षक रिचर्ड हे को नामांकित किया। वर्तमान लोकसभा में दोनों सीटें अभी भी खाली हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन की पहचान कीजिए:

1. कोई भी मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य 10वीं अनुसूची के अनुसार 6 महीने के अंदर किसी भी पार्टी की सदस्यता ले सकता है।
2. एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान भी कर सकते हैं।
3. 126वाँ संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार-एंग्लों इंडियन को लोकसभा और विधानसभाओं में मनोनीत करना अनिवार्य कर दिया गया है।

कूट:-

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements and choose the incorrect statements using the code given below.

1. Under the 10th schedule any nominated Anglo-Indian member can subscribe to any party within 6 months
2. Anglo-Indian members can also vote in the election of the President.
3. According to the 126th Constitutional Amendment Bill, it has been made mandatory to nominate Anglo Indians in the Lok Sabha and state legislative assembly.

Code:

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3

(c) 1 and 3 (d) 1, 2 and 3

नोट : 12 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन सदस्यों के मनोनयन संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें। हाल ही में संसद द्वारा पारित 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रकार इनके अधिकारों को बाधित करता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Mention the constitutional provisions regarding nomination of Anglo-Indian members in the Lok Sabha and State Legislatures. How does the 126th Constitutional Amendment Bill recently passed by Parliament disrupt their rights? Discuss. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।